



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 194865

प्राप्ति - "अ"

प्राप्तिपत्र

हम डा. राजन चौधरा [नाम अध्यक्ष] स्वं डा. निली गोयल [नाम तचिं] क्रमशः अध्यक्ष स्वं तचिं सोसाइटी कानाम - द्यानन्द दीनानाथ गृष्ण आफ हन्टरीट्यूशन्स सूखेपान सोसाइटी पता-सन. एच.-25 माडल टटोन 46 लडानऊ कानपुर हाईके जगदीशपुर - अजैन जिला उन्नाय शास्त्रपूर्वक निम्नाय घपान दरतोड़ी। यहाँके हमारी सोसाइटी द्यानन्द दीनानाथ गृष्ण आफ हन्टरीट्यूशन्स सूखेपान सोसाइटी सन. एच. 25 माडल टटोन 46 लडानऊ कानपुर हाईके जगदीशपुर - अजैन जिला उन्नाय नामक द्विष्ठोपांड फार्मेली संस्थान की रक्षापना का 2023-24 के दिया जाना प्रस्तावित है।

2-यहाँके हमारीसोसाइटी पता - जगदीशपुर ती.हत्तनगंज जिला उन्नाय भूमि गांठातं - 1201क/0.253है.व 1200क/1.007है.व 1200एT/0.098है.व 1206क/0.164है.व 1204क/0.253है. कुल रक्षा - 1.775 है. भूमि है।

3-यहाँके उपरोक्त भूमिपरकिसी प्रकार का कोई भी वाद किसीभी न्यायालय में नहीं कारबाह और भूमि विवाद रहित है।



Ram Avtar Verma
Advocate
Tehsil: Gauri
District: Unnao
324212000
Govt. of Uttar Pradesh

.....2

नक्काश तारीख ७.८.२०१३ अप्र० 100

No. - P.D.G. I.F.S.

संग्रहालय

दिल्ली पुस्तकालय संस्थापना बोर्ड
नमूने कार्यालय उनाव

Mukesh

J

२५६८०१
श्री रामचंद्र एवं उनका है कि इन्होंने
सभा वर्षे दसवार विजेता बना है

लाभ संक्षेप
श्री/ महिला/ दृष्टि के द्वाय
पुत्र/ पुत्री/ बहू द्वाय
दृष्टि दीनांगना द्वाय
निवासी दीनांगना द्वाय
ने विवाह समान व्रत करके नई वास्तविक सम्बन्ध पत्र
के रूपमें दिया रख संख्या दोनों व्यक्तियों हैं और
आपने दह्नजार/ दिवान शंखुज का विवाह च्छीकार
किया है। उसे मे प्रमाणित करता हूँ।



४-यह कि उपरोक्ततेर सोसाइटी के नाम उपलब्धा भूमि के गाठा तंद्रा-
 1201क/0.253 है, व 1200क/1.007 है, व 1200क/0.099 है, व 1206क/0.164 है।
 1204क/0.253 है। इन रखबा 1.775 है। पर उपरोक्त नाम की डिलौमा
 इन फार्मेसी तंद्रानाम की रक्षणात्मक विधि लाने का प्रत्यावर सोसाइटी ही बैठक
 दि.-03/8/2019 द्वारा पारित किया गया है।

५-यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगतडिप्पोमा फार्मेसी तंद्रान के तंद्रान
 हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नहीं के अनुसार किया गया है।

६-यह कि निरीक्षणात्मकता के तंद्रा उपरोक्त परेंट तोसाइटीकोनाम भूमि
 एवं निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षणात्मकता के तंद्रा
 निरीक्षण हेतु प्रत्यक्ष किया गया है।

७-यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ
 इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अनुरूप ही डिप्पोमा फार्मेसी तंद्रान
 का ही संचालन किया जायेगा।

८-यह कि इस तंद्रा में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा
 अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से तम्हा पाठ्यक्रम एवं प्रयोग
 दामता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रश्नगत विधा का लायेगा।

९-यह कि उपरोक्त भूमि पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ
 इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ.प्र. विधानसभा
 से तम्हा तंद्रा एवं पाठ्यक्रमों द्वारा निर्मित उन्हीं परिषद /विधानसभा का
 द्वारा अनुमोदित /तम्हा कोई उन्हीं तंद्रा तंद्रान /विधानसभा /महाविधानसभा की
 आई जादि का संचालन न तो पूर्वी कमी किया गया है और नड़ी भविष्य में
 इनी किया जायेगा।

१०-यह कि तंद्रान के संचालन हेतु जावश्यक कानून एवं प्रश्नगतानामों एवं
 कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं
 प्राविधिक शिक्षा परिषद के भावको के अनुसार ही तुलनित किया जायेगा।

११-यह कि तंद्रा के संचालन हेतु जावश्यक इवांडिक रूपाल की
 लैताती तोसाइटी द्वारा तक प्रारंभ के पूर्व इसे किया जायेगा।

१२-यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों / आदेशों का भलीभांति
 पालन करना यदिमें तंद्रान में किसीभी समय तथानीय निरीक्षण में मानका-
 नुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण इवंतात्परता
 समिति द्वारा किया जायगा निष्ठि अंतिम होगा एवं यही मान्य होगा। इस हेतु
 मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यालयी नहीं ही जायेगी।

१३-मैं दाखिला करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा ही गयी उपरोक्त सूचा मेरी
 निजी जानकारीमूर्छालपत्र से उत्पन्न है। पर दी गयी जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज़ के
 फर्जी, कूटरचित् अधावा हृषिकृष्ण परे जाने हैं तो मेरे विलापहित द्वारा
 नियमानुसार कानूनी संगत कार्यवाही ही जा सकेगी। ऐसी ही गयी विधिक
 कार्यवाही हेतु मैं त्यां उत्तारदायी होऊंगा।

